अध्याय

68

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारण्टी अधिनियम, 2011[1]

(Chhattisgarh Lok Sewa Guarantee Act, 2011)

राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों अथवा अभिकरणों द्वारा नियत समय के भीतर नागरिकों को कतिपय लोक सेवाओं का प्रदाय करने, तथा व्यतिक्रम की दशा में ऐसी सेवाओं के संदाय के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के दायित्वों का निर्धारण करने तथा उससे संशक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ तथा लागू होना**—(1) यह अधिनियम **"छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011"** कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

(4) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन के कार्यों के संबंध में किन्हीं सिविल सेवाओं अथवा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों, स्थानीय निकायों, लोक प्राधिकारियों या अभिकरणों जो शासन के स्वामित्व, नियंत्रण में हैं या सारवान रूप से वित्तीय सहायता प्राप्त हैं, को लागू होगा।

2. **परिभाषाएँ**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) **"अपीलीय प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है, शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारी या अभिकरणों द्वारा, यथास्थिति, अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जिसमें इस अधिनियम के अधीन किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने की शक्ति निहित हो;

(ख) **"सक्षम अधिकारी"** से अभिप्रेत है, इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन शासन, स्थानीय निकाय, लोक प्राधिकारियों या अभिकरण द्वारा, यथास्थिति, इस प्रकार अधिसूचित कोई अधिकारी तथा जो लोक सेवा प्रदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा कारित व्यतिक्रम या विलंब के लिए परिव्यय अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया गया हो;

[1] छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 12-10-2011 को पृष्ठ 566(1)-(4) में प्रकाशित।

Scanned with CamScanner

(घ) दावों के स्वीकृत अथवा अस्वीकृत होने की लिखित सूचना दावा निपटान अधिकारी द्वारा दावाकर्ता को डाक द्वारा दी जाएगी।

(ङ) दावा स्वीकृत होने की दशा में दावा निपटान अधिकारी 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्ताव भेजेंगे, और प्रस्ताव प्राप्त होने के 3 दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रेखांकित चेक के माध्यम से दावे का भुगतान दावाकर्ता को किया जायेगा। चेक पंजीकृत डाक द्वारा दावाकर्ता के उस पते पर भेजा जायेगा जो उसने आवेदन पत्र में अंकित किया हो।

(च) दावा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होना अनिवार्य होगा—

(एक) छात्र-छात्रा के नियमित रूप से अध्ययनरत होने के संबंध में महाविद्यालय/विद्यालय के प्राचार्य/प्रधानपाठक का प्रमाण-पत्र।

(दो) मृत्यु की दशा में प्राधिकृत प्राधिकारी का नियमानुसार मृत्यु प्रमाण-पत्र।

(तीन) मृत्यु न होने की दशा में दुर्घटना की व्याख्या सहित चिकित्सा प्रमाण-पत्र जिसमें चोट की प्रकृति, कारण एवं अशक्तता को में दर्शाया जायें। चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाणीकरण आवश्यक है।

(चार) चिकित्सकीय/अस्पतालीय व्यय की प्रतिपूर्ति की स्थिति में विकासखंड चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित वाउचर होना आवश्यक है।

9. जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति—छात्र सुरक्षा बीमा योजना की मानीटरिंग के लिए एक जिला स्तरीय समिति होगी। समिति की सदस्यता निम्नानुसार होगी—

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3.	सहायक आयुक्त, आ.जा.क. विभाग	सदस्य
4.	जिला शिक्षा अधिकारी	सदस्य सचिव

10. नियमों में संशोधन की राज्य सरकार की शक्ति—राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना जारी करके इन नियमों में संशोधन कर सकेगी।

11. नियमों में कठिनाई के निवारण की राज्य सरकार की शक्ति—इन नियमों में किसी कठिनाई के निवारण के लिए राज्य सरकार निर्देश जारी कर सकेगी।

-०००-

Scanned with CamScanner